

EX-37012-7 1973

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1973/श्रावण 10, 1895

No. 177] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1973/SRAVANA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st August 1973

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973—March 1974 (Amendment No. 32).*

No. 124-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Volume II) for the period April 1973—March 1974, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC(PN)/73, dated the 2nd April, 1973.

2. Paragraph 5 (b) in Part 'B' in Section I, of the aforesaid policy, be amended to read as under:—

“(b) Supplies made by Indian firms against IBRD/IDA aided projects in India when such supplies are made under the procedure of international competitive bidding; and”

NOTE.—The above amendment will come into effect in respect of orders placed after the date of issue of this Public Notice.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1973

विषय.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 32) ।

सं० 124-आई०टी०सी० (पीएन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 46-आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए प्रकाशित की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक-वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिये यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. पूर्वाक्त नीति के खंड—1, भाग “बी” में पैरा 5(बी) को निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधन किया जाए :—

“(बी) ” पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा सहायता प्राप्त भारत की परियोजनाओं के प्रति भारतीय व्यवसाय मंडलों द्वारा किए गए संभरण जबकि ऐसे संभरण अन्तर्राष्ट्रीय प्राथमिक बेली की क्रिया विधि के अन्तर्गत किए गए हों, और ”

टिप्पणी.—उपर्युक्त संशोधन इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि के बाद दिए गए आदेशों के सम्बन्ध में लागू होगा ।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।